न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 224/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सगतसिंह 2 गंगसिंह 3 प्रतापसिंह पिसरान खीमसिंह 4 भोमसिंह 5 महेशसिंह 6 भवनसिंह पिसरान सवाईसिंह 7 अचन कंवर पत्नी सवाईसिंह प्रतिवादी संख्या 05 व 06 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अचन कंवर 8 भाखरसिंह 8 बाबूसिंह पिसरान सांगसिंह जाति राजपूत निवासी लापलनाडी तहसील व जिला बाडमेर।		1 कूम्पसिंह 2 पृथ्वीसिंह 3 नरपतसिंह 4 हाथीसिंह पिसरान उम्मेदसिंह 5 किशन कंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी लापलनाडी तहसील व जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाडमेर 7 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक भादरेश 8 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेड बैंक स्टेशन रोड बाडमेर 9 शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बिशाला।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री पवन सिंहल, वकील वादीगण पक्ष।

निर्णय

दिनांक 30.07.21

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 224/2019 अनवान सगतसिंह वगैराह बनाम कूम्पसिंह वगैराह में दिनांक 12.07.2018 को आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकरी जारी कर तहसीलदार बाडमेर को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 30.10.2019 को निर्णित कर इस न्यायालय के निर्णय व डिकरी को यथावत रखते हुए इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की, कि उभय पक्ष के आवासीय भवन व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड अन्तिम डिकरी पारित करें। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार बाडमेर को उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक 5392 दिनांक 04.11.2019 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा आपति प्रकट की गई। उक्त आपति का स्वीकार कर नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार बाडमेर को पुनः निर्देशित किया गया।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ./2021/1491 दिनांक 22.03.2021 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए, यद्यपि न्यायालय समय समाप्ति तक उन्हे अलग–अलग समय में तीन बार आवाजे लगाई गई। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए माफिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकरी जारी करने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

प्रकट तथ्यों एवं तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य मौजा लापलनाडी पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 732/747, 733, 835/729 व 857/732 कुल रकबा 279.16 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य भूमि का विभाजन निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	भोमसिंह, महेशसिंह, भवनसिंह पिसरान सवाईसिंह अचंनकंवर पत्नी सवाईसिंह भाखरसिंह बाबूसिंह पिसरान सांगसिंह सगतसिंह, गंगसिंह, प्रतापसिंह पिसरान खीमसिंह जाति राजपूत सां. देह खातेदार रहन खाता अनुसार बदस्तूर।	733 835/729 857/732 857/732 857/732 857/732	25.09 13.06 22.19 22.18 49.17 05.09	बादो बादो बादो बादो बादो बादो	1.45 0.80 1.38 1.38 2.99 0.32	लाल
	योग	6	139.18	–	8.32	
2	कूम्पसिंह पृथ्वीसिंह नरपतसिंह हाथीसिंह पिसरान उम्मेदसिंह किशनकंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन खाता अनुसार बदस्तूर।	733 835/729 857/747 857/732 857/732 857/732 857/732	25.09 13.06 0.02 05.13 20.13 19.06 55.09	बादो बादो गै.मु. बेरा बादो बादो बादो बादो	0.45 0.80 – 0.34 1.24 1.15 3.32	हरा
	योग –	7	139.18	–	8.30	

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे तथा नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ-'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 30/07/12 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर